रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30062026-273953
SG-DL-E-30062026-273953

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158]	दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2026/आषाढ 2, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 76
No. 158]	DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ASHADHA 2, 1948	[N. C. T. D. No. 76

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 जून, 2026

फा0 सं0 1(946)/एचआर–पैरा/स्वा0 एवं परि0 कल्या0/2022/2160— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 03/08/1967 की अधिसूचना संख्या फा0 2(15)/66–सेवाएं(सी) के द्वारा अधिसूचित दंत स्वास्थिक के पद हेतु भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से एतद् द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में दंत स्वास्थिक के पद हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (i) इन नियमों को दंत स्वास्थिक भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए।

   (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, अन्य योग्यता इत्यादि** :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा : शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :— जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :— इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**दंत स्वास्थिक**
2.	**पदों की संख्या**	:	35* (2025) *(इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।)
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह—ग
4.	**वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर**	:	6
5.	**क्या चयन पद है / गैर—चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	30 वर्ष से अधिक नही (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय।) **6(क)** निर्णायक विवरण : आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्य** :— 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10+2 या इंटरमीडिएट जीव विज्ञान विषय के साथ 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दंत स्वास्थिक में 2 वर्ष का डिप्लोमा। 3. भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् के साथ दंत स्वास्थिक के रूप में पंजीकरण। **अनुभव** : किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में दंत स्वास्थिक के रूप में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। **वांछनीय** :— **योग्यता** : लागू नहीं **अनुभव** : लागू नहीं

			टीप 1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। **टीप 2** : यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयु : लागू नहीं शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	दो वर्ष **अभ्युक्ति :** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु दो से चार सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण होगा।
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा **टीप** :– पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रूग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिए हुई रिक्तियों को (क) (i) नियमित आधार पर समरूप पदधारी; या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर–5 के पदों में 06 वर्ष की नियमित सेवा सहित; तथा कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु यथाविनिर्धारित योग्यता रखने वाले केंद्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकती हैं।
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है**	:	लागू नहीं
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**विभागीय स्थायीकरण समिति** 1. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव (गृह) – **अध्यक्ष** 2. प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण – **सदस्य** 3. विशेष/अपर सचिव (शह0वि0) – **सदस्य**
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	**संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
शरत कुमार, उप–सचिव

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd June, 2026

F. No. F.1 (946)/HR-PARA/H&FW/2022/2160— In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification number G.S.R. 840 dated the 13th July, 1959 and in suppression of the Recruitment Rules for the post of Dental Hygienist notified vide Notification No. F.2/15/66-Services(C) dated 03/08/1967 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, with the prior consultation of the Union Public Service Commission, is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment for the post of Dental Hygienist in the Health and Family Welfare Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely: -

1. Short title and commencement: - (i) These rules may be called the **Dental Hygienist** Recruitment Rules, 2025.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix: - The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 1 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualification etc.:- The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns No. 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications: - No person, - (a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said post: Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax: - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reason to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving: - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	**Number of Posts**	**Classification**	**Pay Level in the pay Matrix**	**Whether Selection post / Non Selection post**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Dental Hygienist	35* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	**General Central Service** Non-Ministerial Non-Gazetted Group,B	6	Not Applicable

Age Limits for Direct Recruits	**Educational and other Qualification required for direct recruits**	**Whether age & education prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of Promotees**	**Period of Probation if any**
6	**7**	**8**	**9**
Not Exceeding 30 years (relaxable for govt servants upto 5yrs in accordance with instructions or orders issued by the central govt.) 6(a)**Crucial description:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Competent Authority	**Essential:-** 1. 10 PLUS 2 or Intermediate with Biology as a subject from a recognized Board or institution; and 2. Two year Diploma in Dental Hygiene from a recognized institution; and 3. Registration as Dental Hygienist with the Dental Council of India. **Experience:** Two years practical experience as Dental Hygienist in a recognized Hospital. **Desirable** **Qualification:** Not applicable **Experience:** Not applicable **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	**AGE**: NA **Edu. Qual**: NA	2 years **Remark:** There shall be a mandatory induction training of two to four weeks duration for successful completion of the probation.

	Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by Prom/ Dep./abs. grades from which Prom/ dep./abs to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
10	**11**	**12**	**13**
7. Direct Recruitment -100% **<u>Note:</u>** Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government.(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 06 years regular service in posts in level-5 of the pay matrix; and (b) Possessing the qualifications and experien e prescribed for direct recruits under Col.7.	Not applicable	**Departmental Confirmation Committee** 1. Addl. Chief Secretary/ Pr. Secretary /(Home)- **Chairman** 2. Pr. Secretary/ Secretary ,H&FW-**Member** 3. Special/Addl. Secretary (UD)- **Member**	Consultation with UPSC is not necessary.

By Order and in the Name of Lt. Governor
National Capital Territory of Delhi

SHARAT KUMAR , Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.06.30 23:20:08 +05'30'